

उत्तर प्रदेश सरकार

विकलांग कल्याण अनुभाग-1

संख्या : 204/64-1-2006-18(4)/96

लखनऊ, दिनांक : 4 जनवरी, 2007

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1996) की धारा 73 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और उत्तर प्रदेश निःशक्त व्यक्तियों के लिए संस्थाओं की रजिस्ट्रीकरण नियमावली 1998 से संबंधित सरकारी अधिसूचना संख्या 1100/65-97-18(4)-96, दिनांक 9 जनवरी 1998 का अतिक्रमण करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं—

उत्तर प्रदेश निःशक्त व्यक्तियों के लिए संस्थाओं की रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2006

अध्याय — एक

प्रारम्भिक

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1— (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश निःशक्त व्यक्तियों के लिए संस्थाओं की रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2006 कही जायेगी ।
- (1) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी ।
- परिभाषाएं 2— जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में,
- (क) "अधिनियम" का तात्पर्य निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम-1995 से है;
- (ख) "रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र" का तात्पर्य अधिनियम की धारा-52 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र से है;
- (ग) "सक्षम प्राधिकारी" का तात्पर्य निदेशक से है;
- (घ) "निदेशक" का तात्पर्य सरकार के विकलांग कल्याण विभाग के निदेशक से है;
- (ङ) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र से है;
- (च) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है

- (छ) "वर्ष" का तात्पर्य किसी कलैण्डर वर्ष की पहली अप्रैल से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

अध्याय - दो

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

रजिस्ट्रीकरण के लिए

आवेदन प्रपत्र-

धारा -73-(2) (छ)

- 3- (1) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के लिए प्रत्येक आवेदन प्रपत्र-1 में सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदन प्रपत्र या तो निदेशक को या संबंधित जिला, जहां संस्था विद्यमान है के जिला विकलांग कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा। जिला विकलांग कल्याण अधिकारी ऐसे आवेदन-प्रपत्र को अपने कार्यालय में आवेदन-पत्र की प्राप्ति के सात दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
- (2) आवेदन-पत्र के साथ निदेशक के पक्ष में 500/- रु० का रेखांकित बैंक ड्राफ्ट संलग्न किया जायेगा। एक बार संदत्त फीस अप्रतिदेय होगी। रजिस्ट्रीकरण की यह फीस सरकार के कार्यपालक आदेश द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षित की जा सकेगी।
- (3) सोसाइटी/फर्म के प्रतिनिधि, जो सोसाइटी के वित्त/बैंक खाते का संचालन करता हो का किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित वैयक्तिक फोटोग्राफ।
- (4) आवेदन-पत्र में संस्था के अध्यक्ष या सचिव या कोषाध्यक्ष की इस आशय की घोषणा होनी चाहिए कि संस्था को भारत सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है और न तो उसका कोई पदाधिकारी अध्यक्ष या सचिव या मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चाहे जिस भी नाम से पुकारा जाए) या कोषाध्यक्ष पूर्व में भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा काली सूची में डाली गयी किसी संस्था का पदाधिकारी

रहा है और यह भी कि संस्था में या संस्था के पदाधिकारियों/प्रबन्धतन्त्र के मध्य किसी प्रकार का विवाद नहीं है।

- (5) आवेदन-पत्र साफ-साफ भरा जाना चाहिए और काटे गये स्थान, यदि कोई हो, सत्यापित किये जाने चाहिए। आवेदन-पत्र संस्था के प्राधिकृत सदस्य द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए, जिस पर आवेदक का नाम, उसका पदनाम, दिनांक और संस्था की मुहर अंकित होगी।
- (6) अपूर्ण आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

जिला विकलांग कल्याण अधिकारी या निदेशक कार्यालय आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये जाने के समय आवेदन-पत्र की प्रारम्भिक जाँच करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि इस नियमावली के अधीन सभी दस्तावेज आवेदन-पत्र के साथ संलग्न हैं और सभी आवश्यक स्तम्भ सम्यक रूप से भरे गये हैं। यदि कोई आवेदन पत्र किसी भी प्रकार से अपूर्ण पाया जाता है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा और आवेदक को तत्काल अस्वीकृत किये जाने के कारण के बारे में लिखित रूप से सूचित किया जाएगा। एक बार स्वीकार किया गया कोई आवेदन-पत्र पूर्ण समझा जाएगा और आवेदक से पुनः कोई दस्तावेज नहीं माँगा जाएगा।

किन्तु स्वीकार न किये जाने को नामंजुरी नहीं समझा जाएगा और कमियों को दूर करने के पश्चात् आवेदन-पत्र को पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है।

पात्रता मानदण्ड

4-

- (1) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र ऐसी संस्था को स्वीकृत किया जाएगा जिसके संबंध में आवेदन किया गया है यदि वह-

- (क) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है, या
- (ख) रजिस्ट्रीकृत लोक न्यास है, या
- (ग) कम्पनी अधिनियम है 1956 के अधीन कोई कम्पनी है या
- (घ) इण्डियन रेडक्रॉस सोसाइटी या कोई शाखा है।

रजिस्ट्रीकरण के लिए शर्तें 5-

- (1) संस्था सरकार द्वारा समय-समय पर यथा

विहित धनराशि का न्यायिकेतर स्टाम्प पत्र पर इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगी कि उसे भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा उनके पदाधिकारियों अध्यक्ष या सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चाहे जिस भी नाम से पुकारा जाए) या कोषाध्यक्ष के माध्यम से काली सूची में नहीं डाला गया है।

- (2) संगम ज्ञापन और संस्था के संगम अनुच्छेद में निःशक्त व्यक्तियों, जिनके लिए रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा की जा रही है, के लिए पृथक उद्देश्य होंगे।
- (3) संस्था रजिस्ट्रीकरण के आवेदन-पत्र के साथ संस्था के वित्त और बैंक खाते का संचालन करने वाले सदस्यों/अधिकारियों का सत्यापित फोटोग्राफ प्रस्तुत करेगी।
- (4) सक्षम प्राधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकृत हो जाने के बाद संस्था वर्ष में दो बार प्रत्येक छः माह के पश्चात् अपने क्रियाकलाप के संबंध में प्रगति आख्या जिला विकलांग कल्याण अधिकारी के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित करेगी।
- (5) संस्था राज्य और केन्द्र सरकार या अभिहित शीर्ष निकायों, यथा राष्ट्रीय न्यास, भारत पुनर्वास परिषद आदि द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित मानकों के अनुसार निःशक्त व्यक्तियों को उच्च स्तरीय सुविधाएं एवं सेवाएं प्रदान करेगी।

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

- का स्वीकृत किया जाना। 6— (1) आवेदन-पत्र के प्राप्त हो जाने पर अधिकारी उसे प्रपत्र संख्या-2 में रजिस्ट्रीकृत करेगा और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक ने अधिनियम की अपेक्षाओं का अनुपालन किया है तो वह आवेदन-प्रपत्र की प्राप्ति के दिनांक से 7 दिन के भीतर आवेदक को प्रपत्र संख्या-3 में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र स्वीकृत करेगा। इस संबंध में यदि सक्षम प्राधिकारी का समाधान नहीं होता है तो वह ओदश द्वारा ऐसा प्रमाण-पत्र स्वीकृत करने से इन्कार कर सकता है;

प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यक्ति को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र स्वीकृत करने से इन्कार करने से संबंधित आदेश देने के पूर्व वह ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करेगा। प्रमाण-पत्र स्वीकृत करने से इन्कार करने से संबंधित प्रत्येक आदेश के संबंध में आवेदक को आख्यापक आदेश के माध्यम से संसूचित किया जाएगा।

- (2) स्वीकृत रजिस्ट्रीकरण आवेदन-पत्र को आवेदक की रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा या उसे व्यक्तिगत रूप से, रसीद प्राप्त करके, सुपुर्द कर दिया जाएगा।
- (3) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को संस्था द्वारा किसी सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा।

रजिस्ट्रीकरण की अवधि 7-

नियम-6 के अधीन स्वीकृत किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, जबतक कि उसे प्रतिसहत न कर दिया जाए, ऐसी अवधि तक प्रवृत्त बना रहेगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए।

प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण 8-

- (1) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन अधिनियम की धारा-52 की उपधारा (5) के अधीन यथानिर्धारित विधिमान्यता अवधि के कम से कम 60 दिन पूर्व प्रपत्र संख्या-5 में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा।
- (2) सक्षम प्राधिकारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण कर सकता है अथवा उसका ऐसे कारणों से जो उसके द्वारा अभिलिखित किये जायेंगे, नवीनीकरण करने से इन्कार कर सकता है।
- (3) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रपत्र संख्या-6 में ऐसी अवधि के लिए नवीकृत किया जाएगा जैसा सरकार द्वारा अवधारित की जाए।
- (4) रजिस्ट्रीकरण के किसी प्रमाण-पत्र के नवीकरण से इन्कार करने के प्रत्येक आदेश के संबंध में आवेदक को कारण सहित सूचित किया जायेगा।

ऐसा आदेश संबंधित आवेदक को व्यक्तिगत रूप से दिया जाएगा अथवा रजिस्ट्रीकृत डाक से भेज दिया जाएगा।

अध्याय - तीन

प्रमाण-पत्र का प्रतिसंहरण और अपील

प्रमाण-पत्र का प्रतिसंहरण 9- (1) सक्षम प्राधिकारी, यदि उसका यह विश्वास करने का उचित कारण हो कि अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (2) के अधीन स्वीकृत प्रमाण-पत्र का धारक;

(क) प्रमाण-पत्र के निर्गमन या नवीनीकरण के लिए किसी आवेदन-पत्र के संबंध में ऐसा कथन किया है, जो महत्वपूर्ण विवरण के रूप में गलत या असत्य है, या

(ख) बिना किसी उचित कारण के एक वर्ष से अधिक अवधि तक निष्क्रिय रहा है और उसके द्वारा निष्क्रियता की अवधि में सक्षम प्राधिकारी को सूचित नहीं किया गया है;

(ग) किन्हीं ऐसे नियमों या शर्तों का उल्लंघन किया है या करवाया है जिनके अधीन प्रमाण-पत्र स्वीकृत किया गया था;

(घ) किसी कपट, निधि के दुर्विनियोजन, नैतिक अधमता के कार्यों, लक्ष्य समूह के हितों के प्रतिकूल कार्यों में लिप्त रहा है तो वह ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसा वह उचित समझे, प्रमाण-पत्र को आदेश द्वारा प्रतिसंहृत कर सकता है;

प्रतिबंध यह है कि जब तक प्रमाण-पत्र के धारक को सुनवाई का अवसर न दे दिया जाए, तब तक ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

(2) जहाँ ऐसी अपील दायर करने के लिए निर्धारित अवधि की समाप्ति पर तत्काल कोई अपील न की गयी हो; या

प्रतिबंध यह है कि जहाँ अधिनियम की धारा 54 के अधीन प्रतिसंहरण के आदेश के विरुद्ध अपील हो, वहाँ ऐसी संस्था कार्य करना बन्द कर देगी।

(क) यदि ऐसी अपील दायर करने के लिए निर्धारित

अवधि की समाप्ति पर तत्काल कोई अपील न की गयी हो; या

(ख) यदि ऐसी अपील की गयी हो, किन्तु प्रतिसंहरण के आदेश को अपील के आदेश के दिनांक से बनाए रखा गया हो।

(3) किसी संस्था के संबंध में किसी प्रमाणपत्र के प्रतिसंहृत हो जाने पर सक्षम प्राधिकारी यह निर्देश दे सकता है कि ऐसा कोई निःशक्त व्यक्ति जो ऐसे प्रतिसंहरण के दिनांक को ऐसी संस्था का अंतःवासी हो, उसे

(क) उसके माता-पिता, पति या पत्नी या विधिपूर्ण प्राधिकारी की अभिरक्षा में प्रत्यावर्तित कर दिया जाए;


(ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य संस्था में स्थानान्तरित कर दिया जाए।

(4) प्रत्येक संस्था जो ऐसा प्रमाण-पत्र धारण करती हो जिसे इस धारा के अधीन प्रतिसंहृत कर दिया गया हो, ऐसे प्रतिसंहरण के तत्काल पश्चात, ऐसे प्रमाण-पत्र को सक्षम प्राधिकारी को सौंप देगा।

अपील

10- (1) सक्षम प्राधिकारी के ऐसे आदेश से, जिसके द्वारा किसी प्रमाण-पत्र को स्वीकृत करने से इन्कार या किसी प्रमाणपत्र को प्रतिसंहरित किया गया हो व्यथित कोई व्यक्ति प्रतिसंहरण या इन्कार करने के आदेश की प्राप्ति के दिनांक से साठ दिन के भीतर ऐसे इन्कार या प्रतिसंहरण के विरुद्ध राज्य सरकार को अपील कर सकता है।

(2) ऐसी अपील पर राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।


(राहित नंदन)
सचिव।

प्राकृप संख्या -1

(उत्तर प्रदेश निःशक्त व्यक्तियों के लिए संस्थाओं की रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2006)

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन-पत्र

सेवा में,

सक्षम प्राधिकारी /

निदेशक,

विकलांग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश

कक्ष संख्या-1010, दसवाँ तल, इन्दिरा भवन,

अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या

महोदय,

दिनांक :

मैं "निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995" की धारा 52 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र स्वीकृत करने के लिए अपनी संस्था के बारे में निम्नलिखित सूचना / विवरण प्रस्तुत करता हूँ :--

सोसाइटी/फर्म के उस अधिकारी का किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित फोटोग्राफ जो उक्त सोसाइटी/फर्म के वित्त/बैंक खाते का संचालन करता हो।

- 1- संस्था का नाम.....
- 2- उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पूरा पता.....
और दूरभाष / फैक्स संख्या.....
- 3- शाखा / इकाई का पूरा पता जहाँ वास्तविक योजना कार्यान्वित की जा रही है.
.....
- 4- संस्था / गैर सरकारी (जो भी लागू हो, उस पर ✓ का निशान लगाए)
(क) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (अधिनियम संख्या 21, सन् 1860) के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक संस्था है.....
(ख) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक लोक न्यास है.....

- (ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक कम्पनी है.....
- (घ) भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी या इसकी शाखा है.....
- (ङ) कोई अन्य संगठन (रजिस्ट्रीकरण का विवरण, उस अधिनियम के नाम के साथ जिसे सरकार द्वारा इस योजना के प्रयोजन के लिए मान्यता प्रदान की गयी है)। (रजिस्ट्रीकरण का विवरण, उस अधिनियम का नाम, जिसके अधीन इसे रजिस्ट्रीकृत किया गया हो

- 5- संस्था की स्थापना का दिनांक.....
- 6- रजिस्ट्रीकरण संख्या और दिनांक.....
(रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न की जाए)
- 7- निःशक्त व्यक्तियों के लिए संस्था की प्रकृति (दृष्टिबाधित, मूक-बधिर, शारीरिक रूप से निःशक्त या मानसिक रूप से दुर्बल आदि व्यक्तियों के लिए कोई शैक्षणिक या प्रशिक्षण संस्था या कार्यशाला है).....
- 8- क्या अखिल भारतीय स्वरूप की संस्था है? यदि हाँ तो इसके अखिल भारतीय क्रियाकलाप की प्रकृति लिखें.....
- 9- पाँच सौ रुपये मात्र (500/-रुपये मात्र) की राशि बैंक ड्राफ्ट संख्या..... दिनांक..... को..... पर देय रजिस्ट्रीकरण फीस के खाते..... में प्रेषित की जाती है।
- 10- यह घोषणा कि कोई भी व्यक्ति इस संस्था के साथ काली सूची में डाली गयी किसी संस्था, जैसा कि अनुलग्नक-2 में विहित है, का सदस्य नहीं रहा है।
प्रमाणित किया जाता है कि इस आवेदन-पत्र में दी गयी सभी सूचनाएं/विवरण सत्य है और वे मूल दस्तावेज पर आधारित है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है। यदि कोई सूचना असत्य पायी जाती है तो आवेदक के विरुद्ध उचित दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

संलग्नक : यथोपरि।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

दिनांक :

पूरा नाम.....
पदनाम.....
संस्था की मुहर.....

प्रपत्र संख्या -2
रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के लिए रजिस्टर

क्र.सं.	पत्र की संख्या और दिनांक, जिसके द्वारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ।	आवेदन-पत्र सीधे प्राप्त हुआ या जिला विकलांग कल्याण अधिकारी के माध्यम से या किसी अन्य स्रोत से।	संस्था का पूरा नाम और पता	सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम की रजिस्ट्रीकरण संख्या और दिनांक
1	2	3	4	5

आवेदन-पत्र के साथ नत्थी किये गये संलग्नकों की संख्या	बैंक ड्राफ्ट का विवरण (संख्या दिनांक और और जारी करने वाले बैंक)	उस रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की संख्या और दिनांक, जो विकलांग कल्याण विभाग द्वारा जारी किया गया है।	संबंधित सहायक का हस्ताक्षर
6	7	8	9

सक्षम प्राधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति (अन्य विवरण यथा अस्वीकृति और प्रतिसंहरण आदि प्रस्तुत करें)
10	11

प्रारूप संख्या -3

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

(उत्तर प्रदेश निःशक्त व्यक्तियों के लिए संस्थाओं की रजिस्ट्रीकरण
नियमावली, 2006) के अधीन स्वीकृत
प्रमाण-पत्र संख्या..... दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि(संस्था का नाम), जो
सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन
रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या..... दिनांक.....
द्वारा रजिस्ट्रीकृत है या एक रजिस्ट्रीकृत लोक न्यास है या भारतीय रेडक्रॉस
सोसाइटी की एक शाखा है, जो इस नियमावली में यथाउल्लिखित रजिस्ट्रीकरण
की अपेक्षाओं को पूरा करती है। एतद्वारा अधोहस्ताक्षरी निःशक्त व्यक्ति (समान
अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 द्वारा और
इस नियमावली द्वारा भी प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त संस्था को
रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर रहा है। यह प्रमाण-पत्र दिनांक.....
तक विधिमान्य रहेगा।

- 1- संस्था के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पूरा नाम व पता.....
.....
- 2- संस्था की शाखायें/इकाइयों का पूरा नाम व पता.....
और दूरभाष/फैक्स संख्या.....
- 3- शाखा/इकाई का पूरा पता जहाँ वास्तविक योजना कार्यान्वित की जा
रही है.....
.....

यह रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र दिनांक..... माह..... सन्.....
को हस्ताक्षरित किया जा रहा है।

सक्षम प्राधिकारी/
निदेशक, विकलांग कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

(मुहर)

प्रारूप संख्या -4

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन-पत्र

(उत्तर प्रदेश निःशक्त व्यक्तियों के लिए संस्थाओं की रजिस्ट्रीकरण
नियमावली, 2006) के अधीन स्वीकृत

सक्षम प्राधिकारी/
निदेशक, विकलांग कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

महोदय,

मैं.....पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री.....
निवासी (पता).....(संस्था का नाम) का प्राधिकृत
प्रबन्धक/सचिव, आपसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या.....दिनांक.....
जो निःशक्तता के क्षेत्र में कार्य करने के लिए जारी किया गया
था, का नवीनीकरण के लिए निवेदन करता हूँ। यह प्रमाण-पत्र दिनांक.....
तक विधिमान्य है/था।

- 2- इसके साथ रुपये.....का बैंक ड्राफ्ट संलग्न
किया जा रहा है।
- 3- संस्था नियमावली में उल्लिखित सभी शर्तों और विनियमों का पालन
करेगी और यदि कोई ऊपर उल्लिखित तथ्य किसी स्तर पर असत्य पाये
जाते हैं तो रजिस्ट्रीकरण का नवीनीकरण प्रतिसंहत किया जा सकता
है।

- संलग्नक संख्या : 1- बैंक ड्राफ्ट
2- सोसाइटी अधिनियम के अधीन
रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र
3- निःशक्त व्यक्ति अधिनियम के अधीन
रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र।

दिनांक : हस्ताक्षर
नाम.....
पता.....

(आवेदक)

प्रपत्र संख्या -5

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण के लिए रजिस्टर

क्र.सं.	पत्र की संख्या और दिनांक, जिसके द्वारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ।	आवेदन-पत्र सीधे प्राप्त हुआ या जिला विकलांग कल्याण अधिकारी के माध्यम से या किसी अन्य स्रोत से।	संस्था का पूरा नाम और पता	विकलांग कल्याण विभाग में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की संख्या और दिनांक
1	2	3	4	5
आवेदन-पत्र के साथ नत्थी किये गये संलग्नको की संख्या		बैंक ड्राफ्ट का विवरण (संख्या, दिनांक और और जारी करने वाला बैंक)	उस रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की संख्या और दिनांक, जो विकलांग कल्याण विभाग द्वारा जारी किया जा रहा है।	संबंधित सहायक का हस्ताक्षर
6		7	8	9
सक्षम प्राधिकारी का हस्ताक्षर			अभ्युक्ति	
10			11	

प्रारूप संख्या -6

रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण का प्रमाण-पत्र

विकलांग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश

(उत्तर प्रदेश निःशक्त व्यक्तियों के लिए संस्थाओं की रजिस्ट्रीकरण नियमावली,
2006) के अधीन स्वीकृत

संख्या.....

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि.....(संस्था का नाम), प्रमाण-पत्र
संख्या.....दिनांक.....द्वारा विकलांग कल्याण विभाग में
रजिस्ट्रीकृत थी। रजिस्ट्रीकरण दिनांक.....को समाप्त होने वाला है।

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त रजिस्ट्रीकरण का
नवीनीकरण अग्रतर पाँच वर्ष की अवधि के लिए किया जा रहा है और वह दिनांक
.....तक विधिमान्य रहेगा।

यह नवीकरण प्रमाण-पत्र दिनांक.....(माह).....सन्.....
.....को हस्ताक्षरित किया जा रहा है।

सक्षम प्राधिकारी/
निदेशक, विकलांग कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

घोषणा-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि.....(संस्था का नाम) को भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है और न उसका कोई पदाधिकारी, अध्यक्ष या सचिव या मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चाहे उसे जिस भी नाम से पदाभिहित किया जाय) या कोषाध्यक्ष पूर्व में भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा काली सूची में डाली गयी किसी संस्था का पदाधिकारी रहा है/रहा।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि संस्था में या संस्था के पदाधिकारियों/प्रबन्धक के मध्य किसी प्रकार का विवाद नहीं है।

अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष
के हस्ताक्षर	के हस्ताक्षर	के हस्ताक्षर

दिनांक :

संस्था की मुहर :

**“प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले महत्वपूर्ण
अभिलेख”**

- (1) घोषणा पत्र रुपये 10/- के स्टैम्प पेपर पर होगा। जिस पर नोटरी की मोहर अनिवार्य है।
- (2) सोसाइटी प्रमाण-पत्र, नियमावली एवं स्मृति पत्र राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।
- (3) संस्था के पदाधिकारियों के राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित निवास के पते का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराएं।
- (4) संस्था के निजी/किराये के भवन में स्थापित है, के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र/किरायानामा उपलब्ध कराएं।
- (5) संस्था की विकलांगों के हितार्थ लिए जाने वाले कार्यों से संबंधित कार्ययोजना संलग्न की जाये।
- (6) संस्था के वित्तीय संसाधन का पूर्ण विवरण संलग्न करें।
- (7) रुपये 500.00 का बैंक ड्राफ्ट “निदेशक, विकलांग कल्याण उ० प्र०” के पक्ष में होगा।
- (8) स्मृति पत्र में विकलांगता के क्षेत्र में कार्य करने के उद्देश्य का उल्लेख अनिवार्य है।
- (9) संस्था के नियमावली के अनुसार बैंक खाता संचालित करने वाले पदाधिकारियों के प्रमाणित फोटोग्राफ आवेदन पत्र पर चस्पा किए जाएं। एवं फोटो के नीचे उनका नाम, पद का उल्लेख किया जाये। फोटो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-४, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, सोमवार, ६ नवम्बर, २०१७

कार्तिक १५, १९३९ शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-३

संख्या ५३९/६५-३-२०१७-०१-२०१७

लखनऊ, ६ नवम्बर, २०१७

अधिसूचना

सा१०५०नि०-४३

निशक्तजन अधिकार अधिनियम, २०१६, (अधिनियम संख्या ४९ सन् २०१६) की धारा १०१ के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल जिस नियमावली को बनाने का प्रस्ताव करते हैं, उसका निम्नलिखित प्रारूप उक्त धारा की उपधारा (१) की अपेक्षानुसार आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

आपत्तियाँ और सुझाव, यदि कोई हों, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, कक्षा संख्या-३०१, तृतीय तल, बापू भवन, लखनऊ को लिखित रूप में सम्बोधित करके प्रेषित किये जाएंगे।

केवल उन्हीं आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जायेगा जो इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ३० दिन के भीतर प्राप्त होंगे।

प्रारूप नियमावली

उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, २०१७

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

१-(१) यह नियमावली उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, २०१७ कही जायेगी।

(२) यह सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

२-(१) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में-

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य निशक्तजन अधिकार अधिनियम, २०१६ (अधिनियम संख्या ४९ सन् २०१६) से है;

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ

परिभाषा

- (ख) "प्रमाण-पत्र" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 57 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र से है,
- (ग) "रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 50 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र से है,
- (घ) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली से सलग्न प्रपत्र से है।
- (2) इस नियमावली में प्रयुक्त और अपरिभाषित, किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए कमशः समनुदेशित हैं।

अध्याय-दो

राज्य दिव्यांगता
अनुसंधान
समिति

- 3-(1) राज्य दिव्यांगता अनुसंधान समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-
- (एक) विज्ञान एवं चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में विस्तृत -पदेन अध्यक्ष अनुभव रखने वाला एक विख्यात व्यक्ति जिसे राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा ;
- (दो) महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश सरकार या -पदेन सदस्य उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट निदेशक ;
- (तीन) अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट पांच दिव्यांगता -सदस्य समूहों में से प्रत्येक समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले रजिस्ट्रीकृत राज्य स्तरीय संगठन से प्रतिनिधियों के रूप में राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले पांच सदस्य ;
- परन्तु रजिस्ट्रीकृत संगठनों की कम से कम एक सदस्य महिला हो ;
- (चार) निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, उत्तर प्रदेश -सदस्य सचिव। सरकार

- (2) अध्यक्ष किसी विशेषज्ञ को भी विशेष आमंत्रि के रूप में आमंत्रित कर सकता है।
- (3) नामनिर्दिष्ट सदस्यों का कार्यकाल पद धारण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा, किन्तु नामनिर्दिष्ट सदस्य पुनः एक और कार्यकाल के लिए नामनिर्देशन हेतु पात्र होंगे।

- (4) आधे सदस्यों से बैठक की गणपूर्ति होगी।

- (5) गैर सरकारी सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य, राज्य सरकार के समूह 'क' के अधिकारी या उसके समकक्ष अधिकारी के लिए यथा अनुमन्य यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता हेतु पात्र होंगे।

- (6) राज्य सरकार, समिति के लिए ऐसी लिपिकीय और अन्य कर्मचारिवर्ग की व्यवस्था कर सकती है जैसा कि वह आवश्यक समझे।

दिव्यांगजन
शोध का विषय
नहीं होंगे

- 4-किसी दिव्यांगजन को सुगम रीतियों से प्राप्त उसकी अपनी स्वतंत्र एवं संसूचित सहमति के विषय के सिवाय शोध के विषय के रूप में नहीं माना जायेगा।

अध्याय - तीन

परिसीमित
संरक्षण

- 5-(1) जिला न्यायालय अथवा उसकी ओर से या अन्यथा के आधार राज्य सरकार द्वारा अभिहित प्राधिकरण दिव्यांगजन को उसकी ओर से विधिक रूप में बाध्यकारी विनिश्चय करने के लिए परिसीमित संरक्षण का अवलम्ब प्रदान करेंगे।

- (2) जिला न्यायालय या अभिहित प्राधिकरण, दिव्यांगजन को परिसीमित संरक्षण प्रदान करने से पूर्व यह स्वयं समाधान करेंगे कि ऐसा व्यक्ति विधिक रूप में अपना स्वयं का बाध्यकारी विनिश्चय करने की स्थिति में नहीं है।

- (3) जिला न्यायालय या अभिहित प्राधिकरण परिसीमित संरक्षण प्रदान करने से संबंधित आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने के दिनांक से या ऐसे परिसीमित संरक्षण की आवश्यकता के अपने संज्ञान में आने के दिनांक से अधिमानतः एक माह की अवधि के भीतर विनिश्चय करेंगे।

- परन्तु ऐसा सीमित संरक्षण प्रदान किये जाने के पूर्व परिसीमित संरक्षक के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति की सहमति भी प्राप्त करनी होगी।

(4) उपनियम (1) में यथा नियत परिसीमित संरक्षण विधिमान्यता प्रारम्भिक रूप में पांच वर्ष की अवधि के लिए होगी जिसे आगे यथास्थिति जिला न्यायालय या अभिहित प्राधिकरण द्वारा बढ़ाया जा सकता है, परन्तु जिला न्यायालय या अभिहित प्राधिकरण को परिसीमित संरक्षण की विधिमान्यता को बढ़ाने के दौरान उसी प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा जैसा कि प्रारम्भिक संरक्षण प्रदान करने के दौरान अनुसरण किया गया हो।

(5) ऐसे परिसीमित संरक्षण का अवलम्ब प्रदान करने के दौरान न्यायालय या अभिहित प्राधिकरण को किसी उपयुक्त व्यक्ति को सीमित संरक्षक के रूप में नियुक्त किये जाने हेतु निम्नलिखित योग्यता अधिमान में विचार करना होगा:-

(क) दिव्यांगजन के माता-पिता या उसके वयस्क बच्चे,

(ख) सगे भाई अथवा बहन ;

(ग) अन्य सगे नातेदार या अभिरक्षक या स्थानीय प्रमुख व्यक्ति।

(6) केवल वे व्यक्ति नियत किये जायेंगे जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1974) में यथापरिभाषित किसी संज्ञेय अपराध के लिए पूर्व में दोषी न ठहराये गये हों।

(7) उपनियम (1) के अधीन नियत किये गये परिसीमित संरक्षक को समस्त मामलों में दिव्यांगजन से उसकी ओर से कोई विधिसम्मत बाध्यकारी विनिश्चय करने से पूर्व परामर्श लेना होगा।

(8) नियत किया गया परिसीमित संरक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि दिव्यांगजन की ओर से किये गये विधि सम्मत बाध्यकारी विनिश्चय ऐसे दिव्यांगजन के हित में हों।

अध्याय - चार

शिक्षा

6-राज्य में सक्षम प्राधिकारी द्वारा शैक्षिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने की निबंधन एवं शर्तों में उक्त अधिनियम की धारा 16 के उपबंधों का अनुपालन करने की अपेक्षाएं सम्मिलित होंगी।

शैक्षिक संस्था को मान्यता देने से पूर्व निबंधन एवं शर्तें

अध्याय - पाँच

संस्थाओं का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

7-(1) कोई विकलांगजन संस्था स्थापित करने या अनुरक्षित करने का इच्छुक व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी को इस नियमावली से संलग्न प्रारूप में आवेदन कर सकता है।

(2) उपनियम (1) के अधीन किये गये प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे:-

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र हेतु या उसे प्रदान किये जाने हेतु आवेदन-पत्र

(क) दिव्यांगता क्षेत्र में कार्य का दस्तावेजी साक्ष्य;

(ख) संस्था को शासित करने वाला संविधान, उसकी उपविधियां या विनियम;

(ग) आवेदन के दिनांक से पूर्व अंतिम तीन वर्षों में प्राप्त अनुदानों का सम्परीक्षित विवरण और ब्यौरे;

(घ) संस्था में नियोजित व्यक्तियों की कुल संख्या से संबंधित विवरण और उनके कर्तव्य;

(ङ.) संस्था में नियोजित वृत्तिक व्यक्तियों की संख्या;

(च) संस्था द्वारा नियोजित वृत्तिक व्यक्तियों की अर्हताओं से संबंधित विवरण; और

(छ) आवेदक के निवास का प्रमाण-पत्र।

(3) उपनियम (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आवेदन संबंधित संस्था से सम्बंधित निम्नलिखित अपेक्षाओं के अनुरूप होगा :-

(क) यह कि संस्था आवेदन किये जाने के दिनांक से ठीक पूर्व अनधिक तीन वर्षों से दिव्यांगजन के पुनर्वास के क्षेत्र में कार्य करती रही है,

(ख) यह कि संस्था भारतीय सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (अधिनियम संख्या 81 सन् 1860) के अधीन या राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और आवेदन-पत्र के साथ ऐसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र तथा सोसाइटी की उपविधियों एवं संगम ज्ञापन की प्रतिलिपि संलग्न होगी,

(घ) यह कि संस्था ने दिव्यांग बालकों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद में रजिस्ट्रीकृत वृत्तिक व्यक्तियों को नियोजित किया है,

(ड) यह कि संस्था में दिव्यांगजनों के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण और शिक्षण सामग्री हो,

(च) यह कि संस्था ने अपने अंतिम तीन वर्षों की सम्प्रीक्षित लेखा और वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया है।

(4) इस नियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र स्वीकृत या नवीकृत किये जाने के दिनांक को या से पांच वर्ष की अवधि के लिए तब तक प्रवृत्त रहेगा जब तक उसे अधिनियम की धारा 52 के अधीन प्रतिसंहत नहीं कर दिया जाता है।

(5) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के नवीकरण हेतु आवेदन-पत्र उसी रीति से प्रस्तुत किया जायेगा जैसा कि उपनियम (1) के अधीन प्रमाण-पत्र स्वीकृत किये जाने हेतु आवेदन-पत्र के साथ पूर्व रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र तथा ऐसा विवरण कि आवेदक प्रमाण-पत्र के नवीकरण के लिए आवेदन कर रहा है, संलग्न कर प्रस्तुत किया जाता है :

परन्तु ऐसा आवेदन-पत्र ऐसे प्रमाण-पत्र की विधिमान्यता समाप्त होने के साठ दिन पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा, परन्तु यह और कि सक्षम प्राधिकारी 60 दिनों के पश्चात् किन्तु 120 दिन के अपश्चात् रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र नवीकरण हेतु आवेदन-पत्र पर विचार कर सकता है, यदि उसका यह समाधान हो जाता है, ऐसे विलम्ब के लिए पर्याप्त कारण दिये गये हैं।

(6) यदि रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र नवीकरण हेतु आवेदन-पत्र उपनियम (5) के परन्तुक में यथा विनिर्दिष्ट रूप में उसकी समाप्ति के पूर्व प्रस्तुत किया जाता है तो रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र तब तक प्रवृत्त रहेगा जब तक आवेदन-पत्र पर आदेश पारित नहीं किये जाते हैं और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को समाप्त हुआ समझा जायेगा यदि उसके नवीकरण के लिए आवेदन-पत्र, उक्त परन्तुक में यथा विनिर्दिष्ट रूप में साठ दिन के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

(7) उपनियम (1) या उपनियम (5) के अधीन किये गये ऐसे प्रत्येक आवेदन-पत्र का निस्तारण सक्षम प्राधिकरण द्वारा तत्पश्चात् नब्बे दिन की अवधि के भीतर किया जायेगा जिसमें अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकरण का यह समाधान हो जाय कि अधिनियम और इस नियमावली के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र स्वीकृति की अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है।

सक्षम
प्राधिकरण के
आदेश के
विरुद्ध अपील

8-रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करने से इंकार करने वाले या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रतिसंहत करने वाले धारा 51 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकरण के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश के दिनांक से तीन माह के भीतर धारा 53 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपील प्राधिकरण को उस आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है और अपील प्राधिकरण तत्संबंध में ऐसी जांच जैसा कि वह आवश्यक समझे, के पश्चात् और अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसा आदेश कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे।

अध्याय-छः

दिव्यांगता प्रमाण-पत्र से संबंधित अपील

दिव्यांगता
प्रमाण-पत्र
जारी करने
वाले प्राधिकरण
के विनिश्चय
के विरुद्ध
अपील

9-(1) दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकरण के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति विनिश्चय के दिनांक से नब्बे दिन के भीतर अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (1) के प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा अभिहित अपील प्राधिकरण में निम्नलिखित रीति से अपील कर सकता है—

(क) अपील में अपील किये जाने की संक्षिप्त पृष्ठ भूमि और उसके आधार अन्तर्विष्ट होंगे,

(ख) अपील के साथ दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की प्रति और प्रमाणनकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी अस्वीकृत पत्र संलग्न होंगे, परन्तु जहाँ कोई दिव्यांगजन अवयस्क हो या ऐसी किसी दिव्यांगता से पीड़ित हो, जिससे वह स्वयं ऐसा अपील करने में असमर्थ हो, वहाँ उसकी ओर से अपील यथास्थिति उसके विधि सम्मत या परिसीमित संरक्षक द्वारा की जायेगी।

(2) ऐसा अपील प्राप्त किये जाने पर अपीलीय प्राधिकरण अपीलार्थी को अपना वाद प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा और तत्पश्चात् ऐसे तर्कसंगत तथा विस्तृत आदेश पारित करेगा जैसा कि वह उचित समझे।

(3) उपनियम (1) के अधीन किये गये प्रत्येक अपील का विनिश्चय, यथाशक्य शीघ्र और अपील प्राप्त किये जाने के दिनांक से साठ दिन की अवधि के अपश्चात् किया जायेगा।

अध्याय-सात

राज्य सलाहकार बोर्ड

10-(1) राज्य राजधानी क्षेत्र में निवास न करने वाले राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड के गैर सरकारी सदस्यों को उक्त बोर्ड की वास्तविक बैठक के प्रत्येक दिन के लिए दो हजार रुपये के भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

राज्य
सलाहकार
बोर्ड के
सदस्यों के
भत्ते

(2) राज्य राजधानी क्षेत्र के बाहर निवास करने वाले राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड के गैर सरकारी सदस्यों को उक्त बोर्ड की वास्तविक बैठक के प्रत्येक दिन के लिए दैनिक तथा यात्रा भत्तों का भुगतान राज्य सरकार के समूह 'क' अधिकारी हेतु अनुमन्य दर पर किया जायेगा।

11-(1) अधिनियम की धारा 66 की उपधारा (1) के अधीन गठित राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड (जिसे आगे इस अध्याय में 'बोर्ड' कहा गया है) की बैठकें राज्य की राजधानी में ऐसे दिनांकों को आयोजित की जायेंगी जैसा कि उसके अध्यक्ष द्वारा नियत किया जाय, परन्तु इसकी बैठक प्रत्येक छः माह में कम से कम एक बार होगी।

बैठक की
सूचना

(2) बोर्ड का अध्यक्ष बोर्ड के अन्यून दस सदस्यों के लिखित अनुरोध पर बोर्ड की विशेष बैठक बुलायेगा।

(3) बैठक आयोजित किये जाने तथा कारवार सम्पादित किये जाने के समय और स्थान को विनिर्दिष्ट करते हुए किसी साधारण बैठक हेतु पन्द्रह स्पष्ट दिनों की सूचना और किसी विशेष बैठक के लिए पांच स्पष्ट दिनों की सूचना बोर्ड के सदस्य सचिव द्वारा बोर्ड के सदस्यों को प्रदान की जायेगी।

(4) बोर्ड के सदस्यों को किसी बैठक की सूचना संदेश वाहक द्वारा परिदत्त कराकर या उनके निवास या कारवार के अन्तिम ज्ञात पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक या ई-मेल द्वारा भेजकर या ऐसी अन्य रीति से दी जायेगी जैसा कि बोर्ड का अध्यक्ष विषयगत परिस्थितियों में उचित समझे।

(5) बोर्ड का कोई भी सदस्य बैठक के विचारार्थ ऐसा कोई मामला तब तक अग्रसारित करने के लिए हकदार नहीं होगा जिसके संबंध में वह बोर्ड के सदस्य सचिव को दस स्पष्ट दिनों की सूचना न दी हो, जब तक बोर्ड का अध्यक्ष अपने विवेक पर ऐसा करने की अनुमति न दे।

(6) बोर्ड दिन प्रतिदिन या किसी विशेष दिन के लिए अपनी बैठक निम्नानुसार स्थगित कर सकता है:-

(क) जहाँ बोर्ड की कोई बैठक दिन-प्रतिदिन के लिए स्थगित की जाती है वहाँ ऐसी स्थगित बैठक की सूचना, स्थगित बैठक स्थल पर उपलब्ध बोर्ड के सदस्यों को दी जायेगी और शेष सदस्यों को स्थगित बैठक की सूचना दिया जाना आवश्यक नहीं होगा;

(ख) जहाँ बोर्ड की कोई बैठक दिन-प्रतिदिन के लिए स्थगित न होकर बैठक के दिनांक से किसी अन्य दिनांक के लिए स्थगित की जाती है, वहाँ ऐसी बैठक की सूचना उपनियम (4) में यथा विनिर्दिष्ट रीति से सभी सदस्यों को दी जायेगी।

12-बोर्ड का अध्यक्ष, बोर्ड की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, अध्यक्षता करेगा, किन्तु जब बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों किसी बैठक में अनुपस्थित हों तो बोर्ड के उपस्थित सदस्य बैठक की अध्यक्षता के लिए किसी सदस्य का निर्वाचन करेंगे।

पीठासीन
अधिकारी

13-(1) किसी बैठक के लिए बोर्ड के कुल सदस्यों में से एक तिहाई सदस्यों से गणपूर्ति होगी।

(2) यदि किसी बैठक हेतु नियत समय पर या किसी बैठक के प्रक्रम के दौरान बोर्ड के कुल सदस्यों के एक तिहाई से कम सदस्य उपस्थित हों तो अध्यक्ष ऐसे अनुवर्ती समय या ऐसे किसी आगामी दिनांक, जैसा कि वह नियत करे, के लिए बैठक को स्थगित कर सकता है।

(3) बोर्ड के स्थगित बैठक के लिए कोई गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।

(4) ऐसे किसी विषय, जो यथास्थिति बोर्ड के साधारण या विशेष बैठक की कार्य-सूची में न रहा हो, के संबंध में स्थगित बैठक में विचार विमर्श नहीं किया जायेगा।

(5)-(क) जहाँ बोर्ड की कोई बैठक, उपनियम (2) के अधीन गणपूर्ति के अभाव में आगामी दिन के लिए स्थगित की जायेगी वहाँ ऐसी स्थगित बैठक की सूचना स्थगित बैठक आयोजित किये जाने वाले स्थान पर उपलब्ध बोर्ड के सदस्यों को प्रदान की जायेगी और अन्य सदस्यों को स्थगित बैठक की सूचना दिया जाना आवश्यक नहीं होगा; और

(ख) जहाँ बोर्ड की बैठक, उपनियम (2) के अधीन, गणपूर्ति के अभाव में अनुवर्ती दिन हेतु नहीं अपितु पर्याप्त अन्तराल सहित किसी अन्य दिनांक के लिये स्थगित की जाती है, वहाँ ऐसी स्थगित बैठक की सूचना नियम 11 के उपनियम (4) में यथा विनिर्दिष्ट रीति से बोर्ड के समस्त सदस्यों को दी जायेगी।

कार्यवृत्त

14-(1) बोर्ड के सदस्य सचिव द्वारा बोर्ड की बैठक में उपस्थित होने वाले समस्त सदस्यों के नाम और बैठकों की कार्यवाहियों का अभिलेख उस प्रयोजनार्थ अनुरक्षित की जाने वाली पुस्तिका में अनुरक्षित किया जायेगा।

(2) प्रत्येक उत्तरवर्ती बैठक के प्रारम्भ में बोर्ड की पूर्ववर्ती बैठक के कार्यवृत्त का वाचन किया जायेगा और ऐसी बैठक में पीठासीन अधिकारी द्वारा पुष्टिकृत और हस्ताक्षरित किया जायेगा।

(3) कार्यवाहियाँ, बोर्ड के सदस्य सचिव के कार्यालय में कार्यालय समय के दौरान बोर्ड के किसी सदस्य द्वारा निरीक्षण किये जाने के लिए उपलब्ध रहेंगी।

बैठक में
संव्यवहृत किया
जाने वाला
कारवार

15-बोर्ड की किसी बैठक में पीठासीन अधिकारी की अनुमति के सिवाय ऐसा कोई कारवार संव्यवहृत नहीं किया जायेगा जिसकी प्रविष्टि कार्यसूची में न की गयी हो या जिसके संबंध में नियम 11 के उपनियम (5) के अधीन किसी सदस्य द्वारा सूचना न प्रदान की गयी हो।

राज्य
सलाहकार बोर्ड
की बैठक की
कार्यसूची

16-बोर्ड की किसी बैठक में कारवार तब तक उस क्रम में संव्यवहृत किया जायेगा, जिस क्रम में कार्यसूची में प्रविष्टि की गयी हो जब तक बैठक में पीठासीन अधिकारी की अनुमति से अन्यथा संकल्पित नहीं किया जाता है :

परन्तु या तो बोर्ड की बैठक प्रारम्भ होने पर या बैठक के दौरान किसी प्रस्ताव पर विचार विमर्श पूरा होने के पश्चात् बोर्ड का पीठासीन अधिकारी या कोई सदस्य कार्यसूची में यथा प्रविष्टि कारवार के क्रम में परिवर्तन का सुझाव दे सकता है और यदि बोर्ड का अध्यक्ष सहमत हो जाता है तो ऐसा परिवर्तन कर दिया जायेगा।

बहुमत द्वारा
विनिश्चय

17-बोर्ड की किसी बैठक में विचारित समस्त प्रश्नों पर विनिश्चय बोर्ड के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जायेगा और मतों के बराबर होने की दशा में यथास्थिति बोर्ड का अध्यक्ष या अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बोर्ड का उपाध्यक्ष या दोनों की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य के पास द्वितीय या निर्णायक मत होगा।

रिक्ति या
किसी त्रुटि के
कारण कोई
कार्यवाही
अविधिमान्य
नहीं होगी

18-बोर्ड की कोई कार्यवाही, बोर्ड के गठन में किसी त्रुटि या उसमें किसी रिक्ति की विद्यमानता के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

जिला स्तरीय
समिति

19-उक्त अधिनियम की धारा 72 में निर्दिष्ट जिला स्तरीय दिव्यांगता समिति में निम्नलिखित होंगे:-

(एक) जिला मजिस्ट्रेट

-पदेन अध्यक्ष

(दो) मुख्य विकास अधिकारी

-सदस्य

(तीन) पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

-सदस्य

(चार) जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी

-सदस्य

(पांच) मुख्य चिकित्साधिकारी

-सदस्य

- (छ.) बेसिक शिक्षा अधिकारी -सदस्य
 (सात) जिला विद्यालय निरीक्षक -सदस्य
 (आठ) जिला प्रोबेशन अधिकारी -सदस्य
 (नौ) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत संस्था का प्रतिनिधि -सदस्य
 (दस) अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (खण्डों) में यथा परिभाषित राज्य द्वारा अभिज्ञानित प्रत्येक प्रकार की दिव्यांगता से एक व्यक्ति, जिसे अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाय -सदस्य

- (ग्यारह) अध्यक्ष द्वारा यथा आमंत्रित कोई अन्य सदस्य -सदस्य
 20-जिला स्तरीय दिव्यांगता समिति निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात्:- समिति के कृत्य
 (क) जिला स्तरीय अधिकारियों को दिव्यांगजन के पुनर्वास एवं सशक्तीकरण के संबंध में परामर्श देना,
 (ख) जिला स्तरीय प्राधिकारियों द्वारा अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबंधों के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करना,
 (ग) दिव्यांगजन के सशक्तीकरण के लिए सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करने में जिला स्तरीय प्राधिकारियों की सहायता करना,
 (घ) अधिनियम के उपबंधों का जिला स्तरीय प्राधिकारियों द्वारा क्रियान्वयन न किया जाने से संबंधित शिकायतों की जाँच करना और ऐसी शिकायतों का निराकरण करने के लिए संबंधित प्राधिकारी को उपयुक्त उपचारार्थक उपायों की संस्तुति करना,
 (ङ.) अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (4) के अधीन जिला स्तरीय अधिष्ठानों द्वारा की गयी कार्यवाही से क्षुब्ध सरकारी अधिष्ठानों के कर्मचारियों द्वारा की गयी अपील की जांच करना;
 (च) राज्य सरकार द्वारा यथा समनुदेशित कोई अन्य कृत्य करना।

अध्याय-आठ

दिव्यांगजन राज्य आयुक्त

21-(1) कोई व्यक्ति अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (1) के अधीन राज्य दिव्यांगजन आयुक्त (जिसे आगे इस अध्याय में राज्य आयुक्त कहा गया है) के रूप में तब तक नियुक्त किये जाने हेतु अर्ह नहीं होगा, जब तक- राज्य आयुक्त की नियुक्ति की अर्हता

(क) उसके पास विकलांगजन के पुनर्वास से संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव न हो;

(ख) उस वर्ष, जिसमें राज्य आयुक्त की नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित करते हुए विज्ञापन में यथाविनिर्दिष्ट आवेदन-पत्र प्राप्त किये जाने का अन्तिम दिनांक नियत हो, के एक जनवरी को साठ वर्ष की आयु प्राप्त न किया हो;

(ग) उसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव न हो, अर्थात्:-

(क) शैक्षिक अर्हताएं:-

(एक) आवश्यक: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक;

(दो) वांछनीय: सामाजिक कार्य या विधि या प्रबन्धन या मानवाधिकार या पुनर्वास या दिव्यांगजन शिक्षा में मान्यता प्राप्त उपाधि या डिप्लोमा।

(ख) अनुभव:-

निम्नलिखित में समूह 'क' स्तरीय पद पर कम से कम पन्द्रह वर्ष का अनुभव:-

(एक) केन्द्र या राज्य सरकार; या

(दो) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या दिव्यांगता से संबंधित मामलों या सामाजिक क्षेत्र का व्यवहृत करने वाले अर्द्धसरकारी या स्वायत्तशासी निकाय; या

(तीन) दिव्यांगता या सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करने वाले रजिस्ट्रीकृत राज्य या राष्ट्रीय या अन्तराष्ट्रीय स्तर से स्वेच्छिक संगठन में वरिष्ठ स्तर के पदाधिकारी की हैसियत से कार्य :

परन्तु इस उपखण्ड में उल्लिखित कुल पन्द्रह वर्ष के अनुभव में से दिव्यांगजन के सशक्तीकरण के क्षेत्र में निकटपूर्व में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव।

(2) यदि कोई व्यक्ति राज्य आयुक्त के पद पर पदोन्नति हेतु चयनित किया गया है और वह केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन सेवा में है तो उसे राज्य आयुक्त के रूप में नियुक्त किये जाने से पूर्व ऐसे पद से सेवानिवृत्त होना होगा।

राज्य आयुक्त
की नियुक्ति
की रीति

22-(1) कम से कम छः माह पूर्व राज्य आयुक्त का पद रिक्त होना देय होने के पूर्व नियम 21 में उल्लिखित मानदण्ड पूरा करने वाले पात्र अभ्यर्थियों से राज्य आयुक्त के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित करते हुए विज्ञापन कम से कम दो राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में एक अंग्रेजी में और दूसरा जन भाषा में प्रकाशित किया जायेगा।

(2) खोजबीन-सह-चयन समिति का गठन, राज्य आयुक्त के पद हेतु मात्र तीन उपयुक्त अभ्यर्थियों के पैनल की संस्तुति प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट छानबीन-सह-चयन समिति की संरचना किया जाना, राज्य सरकार के संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी सुसंगत अनुदेशों द्वारा शासित होगा।

(4) उपनियम (2) में निर्दिष्ट छानबीन-सह-चयन समिति द्वारा संस्तुत पैनल में ऐसे व्यक्ति सम्मिलित हो सकते हैं जो उपनियम (1) के अधीन किये गये विज्ञापन के फलस्वरूप आवेदन किये हों और केन्द्र या राज्य सरकार में नियोजित ऐसे अन्य इच्छुक पात्र व्यक्ति भी सम्मिलित हो सकते हैं, जिन्हें समिति उपयुक्त समझे।

(5)-राज्य सरकार उपनियम (2) के अधीन छानबीन-सह-चयन समिति द्वारा संस्तुत पैनल में से एक अभ्यर्थी को राज्य आयुक्त के रूप में नियुक्त करेगी।

राज्य आयुक्त
का कार्यकाल

23-(1) राज्य आयुक्त, पदभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जायेगा।

(2) कोई व्यक्ति पैंसठ वर्ष की ऊपरी आयु सीमा के अध्यक्षीन अधिकतम दो कार्यकाल के लिए राज्य आयुक्त के रूप में सेवा कर सकता है।

राज्य आयुक्त
का वेतन और
उसके भत्ते

24-(1) राज्य आयुक्त का वेतन और उसके भत्ते वही होंगे जो राज्य सरकार के प्रमुख सचिव को अनुमन्य हैं (अर्थात् सप्तम सी0पी0सी0 पे-मैट्रिक्स का स्तर 15)

(2) जहाँ कोई राज्य आयुक्त, सेवानिवृत्त सरकारी सेवक हो अथवा केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित किसी संस्था या स्वायत्तशासी निकाय का सेवानिवृत्त कर्मचारी हो और अपनी पूर्व की सेवा से पेंशन प्राप्त कर रहा हो, वहाँ इस नियमावली के अधीन उसे अनुमन्य वेतन की धनराशि में से पेंशन की धनराशि कम कर दी जायेगी और यदि उसने पेंशन के भाग के बदले ले लिया हो तो उसका परिवर्तित मूल्य पेंशन के ऐसे परिवर्तित भाग की धनराशि द्वारा उसका परिवर्तित मूल्य कम कर दिया जायेगा।

राज्य आयुक्त
की सेवा की
अन्य निबंधन
एवं शर्तें

25-राज्य आयुक्त की सेवा की अन्य निबंधन एवं शर्तें निम्नलिखित होंगी:-

(क) अवकाश -

राज्य आयुक्त ऐसे अवकाश के लिए हकदार होगा जैसा कि समूह 'क' के अधिकारियों के लिए लागू राज्य सिविल सेवा नियमावली के सुसंगत उपबंधों के अधीन उन्हें अनुमन्य है।

(ख) अवकाश यात्रा सुविधा -

राज्य आयुक्त ऐसी अवकाश यात्रा सुविधा के लिए हकदार होगा जैसा कि समूह 'क' के अधिकारियों के लिए लागू राज्य सिविल सेवा नियमावली के सुसंगत उपबंधों के अधीन उन्हें अनुमन्य है।

(ग) चिकित्सा प्रसुविधाएं -

राज्य आयुक्त ऐसी चिकित्सा प्रसुविधाओं के लिए हकदार होगा जैसा कि समूह 'क' के अधिकारियों के लिए लागू राज्य सिविल सेवा नियमावली के सुसंगत उपबंधों के अधीन उन्हें अनुमन्य है।

26-(1) राज्य आयुक्त, राज्य सरकार को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर से लिखित नोटिस द्वारा अपने पद से त्याग-पत्र दे सकता है।

त्याग-पत्र और
हटाया जाना

(2) राज्य सरकार राज्य आयुक्त को उसके पद से हटा सकती है यदि वह,—

- (क) अनुमोचित दिवालिया हो, या
- (ख) अपने पद की अवधि के दौरान किसी वैतनिक रोजगार में स्वयं को लगाता हो या अपने पद के कर्तव्यों के परे किया-कलाप करता हो, या
- (ग) ऐसे किसी अपराध, जो राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता में सम्मिलित है, के लिए दोष सिद्ध हो और कारावास का दण्डादेश पाया हो, या
- (घ) राज्य सरकार की राय में, अधिनियम में यथा निर्धारित अपने कृत्यों के संपादन में मानसिक या शारीरिक शैथिल्य या गंभीर दोष के कारण पद पर बने रहने के योग्य न हो, या
- (ङ) राज्य सरकार से अनुपस्थिति का अवकाश प्राप्त किये बिना, निरन्तर पन्द्रह दिन या उससे अधिक अवधि के लिए अपने ड्यूटी से अनुपस्थित हो, या
- (च) राज्य सरकार की राय में, राज्य आयुक्त के पद का इस रूप में दुरुपयोग किया हो कि दिव्यांगजन के हित में उसका पद पर बना रहना अहितकर हो :

परन्तु इस अधिनियम के अधीन नैसर्गिक न्याय के सम्यक सिद्धान्तों का अनुसरण करने के सिवाय किसी राज्य आयुक्त को उसके पद से हटाया नहीं जायेगा।

(3) राज्य सरकार ऐसे राज्य आयुक्त को निलम्बित कर सकती है जिसके संबंध में उपनियम (2) के अनुसार हटाये जाने की कार्यवाहियां प्रारम्भ कर दी गयी हों और ऐसी कार्यवाहियों का निर्णय लम्बित हो।

27—राज्य आयुक्त की अन्य सेवा शर्तों, जिनके संबंध में इस नियमावली में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है, का अवधारण राज्य सरकार के सचिव के लिए तत्समय लागू नियमावली और आदेशों द्वारा किया जायेगा।

अवशेष उपबंध

28-(1) राज्य सरकार एक सलाहकार समिति का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

सलाहकार समिति
का गठन

(क) अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित पांच विनिर्दिष्ट दिव्यांगता समूह में से प्रत्येक दिव्यांगता समूह का प्रतिनिधित्व करने के लिए तीन विशेषज्ञ, चकानुकम द्वारा जिनमें से एक महिला होगी,

(ख) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने हेतु सरकार के दो विशेषज्ञ या ज्येष्ठ अधिकारीगण।

(2) सलाहकार समिति के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा।

(3) राज्य आयुक्त आवश्यकता के अनुसार विषय या क्षेत्र विशेषज्ञ को आमंत्रित कर सकता है जो बैठक या सुनवाई में और रिपोर्ट तैयार करने में उसकी सहायता करेगा।

29-(1) परिवादी, निम्नलिखित विवरणों को समाविष्ट करते हुए कोई परिवाद व्यक्तिगत रूप से या अपने अभिकर्ता द्वारा राज्य आयुक्त को प्रस्तुत कर सकता है अथवा इसे राज्य आयुक्त को सम्बोधित करके डाक द्वारा या ई-मेल द्वारा प्रेषित कर सकता है, अर्थात्:—

राज्य आयुक्त
द्वारा अनुसरण
किये जाने की
प्रक्रिया

- (क) परिवादी का नाम, विवरण और पता;
- (ख) यथास्थिति विरोधी पक्षकार या पक्षकारों का/के नाम, विवरण और पता जहाँ तक उन्हें अभिनिश्चित किया जा सके;
- (ग) परिवाद से संबंधित तथ्य और कब तथा कहाँ यह उत्पन्न हुआ;
- (घ) परिवाद में अन्तर्विष्ट अभिकथनों के समर्थन में दस्तावेज;
- (ङ) अनुतोष जिसका परिवादी दावा करता है।

(2) राज्य आयुक्त, किसी परिवाद की प्राप्ति पर, परिवाद की एक प्रति, परिवाद में उल्लिखित विरोधी पक्षकार या पक्षकारों को यह निदेश देते हुए भेजेगा कि वह तीस दिनों की अवधि के भीतर या अनधिक पन्द्रह दिनों की अवधि, जैसा कि राज्य आयुक्त द्वारा स्वीकृत की जाय, के भीतर उक्त मामले में अपना बयान दे दे।

(3) सुनवाई के दिनांक को या ऐसे किसी अन्य दिनांक, जिस दिनांक को सुनवाई स्थगित की जाय, को पक्षकारों या उनके अभिकर्ताओं को राज्य आयुक्त के समक्ष उपस्थित होना होगा।

(4) जहाँ परिवादी या उसका अभिकर्ता ऐसे दिवसों पर राज्य आयुक्त के समक्ष उपस्थित होने में विफल हो जाय, वहाँ राज्य आयुक्त त्रुटि होने पर परिवाद को या तो खारिज कर सकता है या गुण-दोष के आधार पर विनिश्चय कर सकता है।

(5) जहाँ विरोधी पक्षकार या उसका अभिकर्ता सुनवाई के दिनांक को उपस्थित होने में विफल हो जाय वहाँ राज्य आयुक्त अधिनियम की धारा 82 के अधीन ऐसी आवश्यक कार्यवाही कर सकता है जैसा कि वह विरोधी पक्षकार की उपस्थिति आहूत करने और प्रवर्तित करने के लिए उचित समझे।

(6) राज्य आयुक्त, आवश्यक होने पर, परिवाद का निपटारा एक पक्षीय कर सकता है।

(7) राज्य आयुक्त, ऐसे निबंधनों पर जैसा कि वह उचित समझे और कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम में, परिवाद की सुनवाई स्थगित कर सकता है।

(8) राज्य आयुक्त, विरोधी पक्षकार द्वारा नोटिस प्राप्त किये जाने के दिनांक से 90 दिनों की अवधि के भीतर, यथा संभव परिवाद का विनिश्चय करेगा।

राज्य आयुक्त की सहायता करने के लिए सलाहकार समिति

30—(1) राज्य सरकार, अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित विनिर्दिष्ट पांच दिव्यांगता समूहों में से प्रत्येक समूह का प्रतिनिधित्व करने के लिए पाँच विशेषज्ञों से समाविष्ट एक सलाहकार समिति, जिसमें दो महिला होंगी, नियुक्त करेगी।

(2) राज्य आयुक्त आवश्यकतानुसार विषय या क्षेत्र विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकता है जो बैठक या सुनवाई में और रिपोर्ट तैयार करने में उसकी सहायता करेगा।

(3) सलाहकार समिति के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष के लिए होगा और सदस्य पुनः नामनिर्देशन हेतु पात्र नहीं होंगे।

(4) राज्य की राजधानी में निवास कर रहे, सलाहकार समिति के गैर सरकारी सदस्यों को वास्तविक बैठक के लिए प्रतिदिन दो हजार रुपये के भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

(5) राज्य की राजधानी में निवास न कर रहे, सलाहकार समिति के गैर सरकारी सदस्यों को, राज्य सरकार के समूह 'क' के अधिकारी के लिए अनुमन्य दर से वास्तविक बैठकों के प्रत्येक दिन के लिए दैनिक और यात्रा भत्तों का भुगतान किया जायेगा।

वार्षिक रिपोर्टों का प्रस्तुत किया जाना

31—(1) राज्य आयुक्त, यथाशक्य शीघ्र वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, किन्तु अगले आगामी वर्ष में 30 सितम्बर के अपश्चात्, उक्त वित्तीय वर्ष के दौरान अपने क्रिया-कलापों का पूर्ण विवरण देते हुए वार्षिक रिपोर्ट तैयार करके राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(2) विशेष रूप से, उपनियम (1) में निर्दिष्ट वार्षिक रिपोर्ट प्रपत्र में होगा, जिससे कि पृथक-पृथक शीर्षकों के अधीन पृथक-पृथक मामलों का विवरण तथा उसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रत्येक मामले से सम्बन्धित सूचना के साथ प्रस्तुत किया जा सके, अर्थात्:-

(क) राज्य आयुक्त के कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारिवर्ग के नाम और संगठनात्मक गठन को दर्शाता हुआ एक चार्ट;

(ख) ऐसे कृत्य, जिनके लिए राज्य आयुक्त को अधिनियम के अधीन सशक्त किया है और इस संबंध में निष्पादन की विशिष्टताएं;

(ग) राज्य आयुक्त द्वारा बनायी गयी मुख्य संस्तुतियाँ;

(घ) राज्य में अधिनियम के क्रियान्वयन में की गयी प्रगति; और

(ङ.) राज्य आयुक्त द्वारा रिपोर्ट में सम्मिलित किये जाने हेतु उपयुक्त समझा गया या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर उसमें सम्मिलित किये जाने हेतु विनिर्दिष्ट कोई अन्य मामला।

अध्याय नौ

लोक अभियोजक

लोक अभियोजक की नियुक्ति

32—(1) प्रत्येक विशेष न्यायालय में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले लोक अभियोजक के पास निम्नलिखित होंगे:-

(क) दिव्यांगजन के मामलों को नियंत्रित करने का व्यवहारिक अनुभव;

(ख) अन्यून पांच वर्ष का बार का अनुभव;

(ग) स्थानीय भाषा और रीति-रिवाजों से भली-भांति प्रवीण हो।

(2) अधिनियम की धारा 85 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट या नियुक्त, विशेष लोक अभियोजक की फीस और अन्य पारिश्रमिक वही होंगे जैसा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1974) के अधीन किसी सत्र न्यायालय के समक्ष मामलों का संचालन करने के लिये, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त लोक अभियोजक के लिये होगी।

अध्याय—दस

दिव्यांगजन के लिए राज्य निधि

33—(1) दिव्यांगजनों के लिये राज्य निधि, जिसे एतदपश्चात् 'राज्य निधि' कहा गया है, में निम्नलिखित जमा होंगी:—

(क) अनुदान, उपहार, दान, उपकृति, वसीयतों या अन्तरणों के माध्यम से प्राप्त समस्त धनराशियां;

(ख) सहायता अनुदान सहित राज्य सरकार से प्राप्त समस्त धनराशियां; और

(ग) राज्य सरकार द्वारा यथा विनिश्चित ऐसे अन्य स्रोतों से प्राप्त समस्त धनराशियां।

(2) राज्य निधि के प्रबंधन हेतु एक शासी निकाय होगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(क) प्रमुख सचिव या सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, —अध्यक्ष/अध्यक्षा
उत्तर प्रदेश शासन;

(ख) राज्य सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, —सदस्य
शिक्षा विभाग, नियोजन विभाग, वित्त विभाग, ग्राम्य विकास विभाग के वर्णमाला के अनुसार चक्रानुक्रम में, दो प्रतिनिधि,
जो संयुक्त सचिव से निम्न न हों;

(ग) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगता —सदस्य
का प्रतिनिधित्व करने वाले चक्रानुक्रम में दो व्यक्ति;

(घ) निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण निदेशालय, राज्य —संयोजक/
सरकार। कार्यपालक
अधिकारी

(3) शासी निकाय जितनी बार आवश्यक हो, किन्तु प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार बैठक करेगा।

(4) नामनिर्दिष्ट सदस्य अनधिक तीन वर्ष के लिये पदधारण करेंगे।

(5) शासी निकाय का कोई सदस्य, पदधारण अवधि के दौरान, निधि का लाभग्राही नहीं होगा।

(6) नामनिर्दिष्ट गैर सरकारी सदस्य शासी निकाय की बैठकों में प्रतिभाग करने के लिये, राज्य सरकार के समूह 'क' अधिकारी के लिये यथा अनुमन्य, यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता के संदाय के लिये पात्र होंगे।

(7) कोई व्यक्ति उपनियम (2) के खण्ड (ख) और (ग) के अधीन शासी निकाय के किसी सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट नहीं किया जायेगा, यदि वह—

(क) किसी ऐसे अपराध का दोषसिद्ध हो या किया गया हो, जो राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता के अन्तर्गत आता हो;

(ख) दिवालिया हो या किसी समय दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत किया गया हो।

राज्य निधि का
उपयोग

34-(1) राज्य निधि का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये किया जायेगा, अर्थात्—
 (क) उन क्षेत्रों में वित्तीय सहायता जो विशेष रूप से राज्य सरकार के किसी योजना और कार्यक्रम के अधीन आच्छादित नहीं हैं;
 (ख) निधि के प्रशासनिक और अन्य व्यय, जिन्हें अधिनियम द्वारा या तदधीन उपगत किया जाय; और
 (ग) शासी निकाय द्वारा विनिश्चित किये गये अन्य प्रयोजन।

(2) व्यय का प्रत्येक प्रस्ताव अनुमोदन के लिए शासी निकाय के समक्ष रखा जायेगा।

(3) शासी निकाय लिपिकीय राज्य निधि के प्रबंधन और उपयोग का पर्यवेक्षण करने हेतु आवश्यकता के आधार पर ऐसे शर्त और निबंधनों के साथ लेखाकारों सहित लिपिकीय कर्मचारि वर्ग की नियुक्ति कर सकता है।

(4) राज्य निधि में विनिधान ऐसी रीति से की जायेगी, जैसा कि शासी निकाय द्वारा विनिश्चित किया जाय।

बजट

35-राज्य निधि का मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रत्येक वर्ष जनवरी में, निधि की आंकलित प्राप्ति और व्यय प्रदर्शित करते हुए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राज्य निधि के अधीन व्यय उपगत करने के लिए बजट तैयार करेगा और उसे शासी निकाय के समक्ष विचार करने के लिए रखेगा।

वार्षिक रिपोर्ट

36-राज्य सरकार में दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण से संबंधित विभाग की वार्षिक रिपोर्ट में राज्य निधि पर एक अध्याय सम्मिलित करेगा।

आज्ञा से,
 महेश कुमार गुप्ता,
 प्रमुख सचिव।

प्रपत्र

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन

{ नियम 7(1) देखें }

1-आवेदक का नाम और उसका पता:.....

2-संस्था जिसके संबंध में आवेदन किया जाय:

(क) नाम:.....

(ख) पता (कार्यालय/परियोजना):.....

(ग) फोन/फैक्स/टेलेक्स/(कार्यालय):.....

(परियोजना)

3-(एक) अधिनियम का नाम, जिसके अधीन संस्था पहले से रजिस्ट्रीकृत है:.....

(दो) रजिस्ट्रीकरण संख्या और रजिस्ट्रीकरण का दिनांक:.....

(कृपया छायाप्रति संलग्न करें)

4-संस्था का संगम ज्ञापन और उपविधियां :

(कृपया छायाप्रति संलग्न करें)

5-संस्था के प्रबंध बोर्ड/शासी निकाय के सदस्यों का नाम, पता, व्यवसाय और अन्य विशिष्टताएं:.....

6-संस्था का वर्तमान क्रिया-कलाप:.....

7-संस्था की वर्तमान सदस्यता संख्या और श्रेणीकरण। संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची।

- (क) गत वर्ष हेतु वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति,
- (ख) अंतिम दो वर्षों हेतु चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित संपरीक्षित लेखा विवरण
 - (एक) रसीद और भुगतान खाता (अंतिम दो वर्ष के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा)
 - (दो) आय और व्ययक खाता (अंतिम दो वर्ष के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा)
 - (तीन) अंतिम दो वर्ष के लिए तुलन-पत्र (अंतिम दो वर्ष के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा)
- (ग) संस्था द्वारा नियोजित कर्मचारिवर्ग का विवरण
- (घ) संस्था के..... द्वारा आच्छादित किये जाने वाले लाभार्थियों का विवरण
- (ङ) यदि छात्रावास अनुसूचित किया गया है तो छात्रावास करने वालों की संख्या
- (च) अन्य निबंधन, यदि कोई हों
- (छ) क्या संस्था अपने स्वयं के/भाड़े पर लिये गये भवन पर अवस्थित है (आवश्यक साक्ष्य संलग्न करें)

नाम:-.....

पदनाम:-.....

आवेदक का हस्ताक्षर

पता:-.....

दिनांक:-.....

कार्यलय मुहर:-

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 539/LXV-3-2017-01-2017, dated November 6, 2017 :

No. 539/LXV-3-2017-01-2017

Dated Lucknow, November 6, 2017

THE following draft rules, which the Governor proposes to make, in exercise of powers under section 101 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (Act no. 49 of 2016) is hereby published with a view to inviting objections and suggestions as required under sub-section (1) of the said section.

Objections and suggestions, if any, shall be sent in writing addressed to the Pramukh Sachiv, Uttar Pradesh Sashan, Divyang Jan Sashaktikaran Vibhag, Room No. 301, 3rd floor, Bapu Bhawan, Lucknow.

Only such objections and suggestions shall be taken into consideration as are received within 30 days from the date of publication of this notification in the *Gazette*.

DRAFT RULES

THE UTTAR PRADESH RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES RULES, 2017

CHAPTER-I

Preliminary

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017. Short title and commencement

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the official *Gazette*.

2. (1) In these rules, unless the context otherwise requires,- Definitions

(a) "Act" means the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016);

(b) "certificate" means a certificate of disability issued by a certifying authority referred to in sub-section (1) of section 57 of the Act;

(c) "certificate of registration" means a certificate of registration issued by the competent authority under section 50 of the Act.

(d) "Form" means a form appended to these rules.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER II

Committee for Research on Disability

State Committee
for Research on
Disability

3-(1) The Committee for Research on Disability at the State level shall consist of the following members, namely:-

(i) An eminent person having a vast experience in the field of science and medical research to be nominated by the State Government,
- *ex-officio*-Chairperson;

(ii) Director-General of Health Services of the State Government or the Director nominated by him
- *ex officio*-Member;

(iii) Five members as representatives from registered State level organization representing each of the five groups of specified disabilities in the Schedule to the Act, to be nominated by the State Government - Members:

Provided that atleast one representative of the registered organizations is a woman.

(iv) Director dealing with empowerment of persons with disabilities in the State Government - Member Secretary:

(2) The Chairperson may invite any expert as a special invitee.

(3) The term of office of the nominated members shall be for a period of three years from the date on which they enter upon office but the nominated members shall be eligible for re-nomination for one more term.

(4) One half of the members shall constitute the quorum of the meeting.

(5) The non-official members and special invitees shall be entitled for travelling allowance and dearness allowance as admissible to a Group A or equivalent officer of the State Government.

(6) The State Government may provide the Committee with such ministerial and other staff as the State Government consider necessary.

Person with
disability not to
be a subject of
research

4. No person with disability shall be considered to be a subject of a research except his/her free and informed consent obtained through accessible modes.

CHAPTER-III

Limited Guardianship

Limited
Guardianship

5-(1) A District Court or any authority designated by the State Government on its own or otherwise shall grant the support of limited guardianship to a person with disability to take a legally binding decision on his behalf.

(2) The District Court or the designated authority before granting limited guardianship for the person with disability shall satisfy itself that such person is not in a position to take legally binding decision on his own.

(3) The District Court or the designated authority shall take a decision preferably within a period of one month from the date of receipt of an application regarding grant of limited guardianship or from the date of coming to his notice of the need of such limited guardianship:

Provided that the consent of the person to act as a limited guardian shall also be obtained before grant of such limited guardianship.

(4) The validity of the limited guardianship as appointed under sub-rule (1) shall be initially for a period of five years which can be extended further by the District Court or the designated authority as the case may be:

Provided that the District Court or the designated authority shall follow the same procedure while extending the validity of the limited guardianship as followed while granting the initial guardianship.

(5) While granting the support of such limited guardianship the Court or the designated authority shall consider a suitable person to be appointed as a limited guardianship in the following preference of merit:-

- (a) The parents or adult children of the person with disability;
- (b) Immediate brother or sister
- (c) Other blood relatives or care takers or prominent personality of the locality

(6) Only those individuals who have attained the age of 18 years or more and have not been previously convicted of any cognizable offence as defined in the Code of Criminal Procedure, 1973 (1 of 1974) shall be appointed.

(7) The limited guardian appointed under sub-rule (1) shall consult the person with disability in all matters before taking any legally binding decision on behalf thereof.

(8) The appointed limited guardian shall ensure that the legally binding decisions taken on behalf of the person with disability are in the interest of such person.

CHAPTER IV

Education

6-(1) The terms and conditions of grant of recognition to the educational institutions by the competent authority in the State may include the requirements to comply with the provisions of section 16 of the Act.

Terms and conditions before recognition of the educational institution

CHAPTER V

Certificate of Registration of Institutions

7-(1) A person desirous of establishing or maintaining an institution for persons with disabilities may make an application in the Form appended to these rules to the competent authority referred to in Section 51 of the Act.

Application for, and grant of certificate of registration

(2) Every application made under sub-rule (1) shall be accompanied with:-

- (a) documentary evidence of work in the area of disability;
- (b) the Constitution or bye laws or regulations governing the institution;
- (c) audited statement and details of grants received in the last three years, preceding the date of application;
- (d) a statement regarding total number of persons employed in the institution along with their respective duties;
- (e) the number of professionals employed in the institution;
- (f) a statement regarding qualifications of the professionals employed by the institution; and
- (g) the proof of residence of the applicant.

(3) Every application made under sub rule (1) shall comply with the following requirements in respect of the concerned institution,-

(a) that the institution had been working in the field of rehabilitation of persons with disabilities for not less than three years immediately before the date on which the application is made;

(b) that the institution is registered under the Indian Societies Registration Act, 1860 Act no. XXI of 1860 or under any other law for the time being in force in the State and a copy of such registration certificate along with the bye-laws and memorandum of association of the society shall accompany the application;

(c) that the institution has not been running to profit any individual or a body of individuals;

(d) that the institution has employed professionals registered with the Rehabilitation Council of India to cater to the special needs of children with disabilities;

(e) that the institution has adequate teaching and learning material for the persons with disabilities; and

(f) that the institution has submitted its audited accounts and annual reports of last three years with the competent authority.

(4) The certificate of registration under this rule, unless revoked under section 52 of the Act, shall remain in force for a period of five years on and from the date on which it is granted or renewed.

(5) An application for the renewal of certificate of registration shall, be made in the same manner as the application for grant of certificate under sub-rule (1) accompanied with the previous certificate of registration and a statement that the applicant is applying for renewal of the certificate so accompanied:

Provided that such application shall be made before sixty days of the expiry of the validity of such certificate;

Provided further that the competent authority may consider application for renewal of the certificate of registration after 60 days but not later than 120 days, if he is satisfied that sufficient reasons has been provided for such delay.

(6) If the application for renewal of certificate of registration is made before its expiry as specified in the proviso to sub-rule (5), the certificate of registration shall continue to be in force until orders are passed on the application and the certificate of registration shall be deemed to have expired if application for its renewal is not made within sixty days as specified in the said proviso.

(7) Every application made under sub-rule (1) or sub rule (5), in which the competent authority referred to in sub-section (1) of section 51 of the Act, is satisfied that the requirements for grant of certificate of registration under the Act and these rules have been complied with, shall be disposed of by it within a period of ninety days thereafter.

Appeal against the order of competent authority

8-Any person aggrieved by the order of the competent authority referred to in sub-section (1) of section 51, refusing to grant a certificate of registration or revoking a certificate of registration may, within three months from the date of the order, prefer an appeal against that order to the appellate authority referred to in sub-section (1) of section 53 and the appellate authority may, after such enquiry into the matter as it considers necessary and after giving the appellant an opportunity of being heard, make such order as it thinks fit.

CHAPTER VI

Appeal Regarding Certificate of Disability

Appeal against the decision of the authority issuing certificate of disability

9-(1) Any person aggrieved with the decision of the authority issuing the certificate of disability may within ninety days from the date of the decision, prefer an appeal to the appellate authority designated by the State Government for the purpose under sub-section (1) of Section 59 of the Act in the following manner:-

(a) The appeal shall contain brief background and the grounds for making the appeal.

(b) The appeal shall be accompanied by a copy of the certificate of disability or letter of rejection issued by the certifying authority.

Provided that where a person with disability is a minor or suffering from any disability which renders him unfit to make such an appeal himself, the appeal on his behalf may be made by his legal or limited guardian as the case may be.

(2) On receipt of such appeal, the appellate authority shall provide the appellant an opportunity to present his case and thereafter pass such reasoned and detailed order as it may deem appropriate.

(3) Every appeal preferred under sub-rule (1) shall be decided as expeditiously as possible and not later than a period of sixty days from the date of receipt of the appeal.

CHAPTER VII

State Advisory Board

10-(1) The non-official members of the State Advisory Board on disability not residing in the State capital region, shall be paid an allowance of rupees two thousand for each day of the actual meeting of the said Board.

Allowances for
the Members of
the State
Advisory Board

(2) The non-official members of the State Advisory Board on disability residing outside the State capital region shall be paid daily and travelling allowances for each day of the actual meeting of the said Board at the rates admissible to a Group A Officer of the State Government:

11-(1) The meetings of the State Advisory Board on disability constituted under sub-section (1) of section 66 of the Act (hereinafter in this Chapter referred to as 'the Board') shall ordinarily be held in the Capital of the State on such dates as may be fixed by its Chairperson:

Notice of the
Meeting

Provided that it shall meet at least once in every six months.

(2) The Chairperson of the Board shall, upon the written request of not less than ten members of the Board, call a special meeting of the Board.

(3) Fifteen clear days' notice of an ordinary meeting and five clear days' notice of a special meeting specifying the time and the place at which such meeting to be held and the business to be transacted thereat, shall be given by Member-Secretary of the Board to the members of the Board.

(4) Notice of a meeting may be given to the members of the Board by delivering the same to them by messenger or sending it by registered post to their respective last known places of residence or business or by email or in such other manner as the Chairperson of the Board may, in the circumstances of the case, thinks fit.

(5) No member of the Board shall be entitled to bring forward for the consideration of the meeting any matter of which he has not given ten clear days' notice to the Member Secretary of the Board, unless the Chairperson of the Board, in his discretion, permit him to do so.

(6) The Board may adjourn its meeting from day to day or to any particular day as under:-

(a) Where a meeting of the Board is adjourned from day to day, notice of such adjourned meeting shall be given, to the members of the Board available at the place where the meeting which was adjourned was to be held and it shall not be necessary to give notice of the adjourned meeting to the rest of the members;

(b) Where a meeting of the Board is adjourned not from day to day but from the day on which the meeting is to be held to another date, notice of such meeting shall be given to all the members of the Board in the manner as specified in sub-rule(4).

12- The Chairperson of the Board shall preside at every meeting of the Board and in his absence, the Vice-Chairperson thereof shall preside, but when both the Chairperson and the Vice-Chairperson of the Board are absent from any meeting, the members of the Board present shall elect one of the members to preside at that meeting.

Presiding
officer

13-(1) One-third of the total members of the Board shall form the quorum for any meeting.

Quorum

(2) If at any time fixed for any meeting or during the course of any meeting less than one-third of the total members of the Board are present, the Chairperson thereof may adjourn the meeting to such hours on the following or on some other future date as he may fix.

(3) No quorum shall be necessary for the adjourned meeting of the Board.

(4) No matter which had not been on the agenda of the ordinary or the special meeting of the Board, as the case may be, shall be discussed at its adjourned meeting.

(5) (a) Where a meeting of the Board is adjourned under sub-rule(2) for want of quorum to the following day, notice of such adjourned meeting shall be given to the members of the Board available at the place where the meeting which was adjourned was to be held and it shall not be necessary to give notice of the adjourned meeting to other members; and

(b) Where a meeting of the Board is adjourned under sub-rule(2) for want of quorum not to the following, but on a date with sufficient gap, notice of such adjourned meeting shall be given to all the members of the Board in the manner as specified in sub-rule (4) of rule 11.

Minutes

14-(1) Record shall be kept of the names of all the members of the Board who attended the meeting of the Board and of the proceedings at the meetings in a book to be maintained for that purpose by the Member-Secretary of the Board.

(2) The minutes of the previous meeting of the Board shall be read at the beginning of every succeeding meeting, and shall be confirmed and signed by the presiding officer at such meeting.

(3) The proceedings shall be open to inspection by any member of the Board at the office of the Member-Secretary of the Board during office hours.

Business to be transacted at meeting

15-Except with the permission of the presiding officer, no business which is not entered in the agenda or of which notice has not been given by a member under sub-rule (5) of rule 11 shall be transacted at any meeting of the Board.

Agenda for the meeting of the State Advisory Board

16-(1) At any meeting of the Board business shall be transacted in the order in which it is entered in the agenda, unless otherwise resolved in the meeting with the permission of the presiding officer:

Provided that either at the beginning of the meeting of the Board or after the conclusion of the debate on a motion during the meeting, the presiding officer or a member of the Board may suggest a change in the order of business as entered in the agenda and if the Chairperson of the Board agrees, such a change shall take place.

Decision by majority

17-All questions considered at a meeting of the Board shall be decided by a majority of votes of the members of the Board present and voting and in the event of equality of votes, the Chairperson of the Board, or in the absence of the Chairperson, the Vice-Chairperson of the Board or in the absence of both the Member presiding at the meeting, as the case may be, shall have a second or casting vote.

No proceeding to be invalid due to vacancy or any defect

18-No proceeding of the Board shall be invalid by reasons of existence of any vacancy in or any defect in the constitution of the Board.

District-level Committee

19-The District-Level Committee on disability referred to in Section 72 of the Act shall consist of -

- (i) District Magistrate.....ex-officio Chairperson;
- (ii) C.D.O.....member;
- (iii) S.P./S.S.P.....member;
- (iv) District Divyangjan Empowerment Officer.....member-secretary;
- (v) Chief Medical Officer.....member;
- (vi) B.S.A.....member;

- (vii) D.I.O.S.....member;
- (viii) District Probation Officer.....member;
- (ix) a Representative of a Registered Organization nominated by the Chairperson.....member;
- (x) a Person each from the types of identified disabilities by the state as defined in Clause(s) of Section 2 of the Act as nominated by the Chairperson..... member; and
- (xi) Any other member as invited by the Chairperson.....member

20-The District-Level Committee on disability shall perform the following functions, namely:-

Functions of
the Committee

- (a) advise the District authorities on matters relating to rehabilitation and empowerment of persons with disabilities.
- (b) monitor the implementation of the provisions of the Act and the rules made thereunder by the District authorities.
- (c) assist the District authorities in implementation of schemes and programmes of the Government for empowerment of persons with disabilities.
- (d) look into the complaints relating to non implementation of the provisions of the Act by the District authorities and recommend suitable remedial measures to the concerned authority to redress such complaints.
- (e) look into the appeal made by the employees of Government establishments aggrieved with the action taken by the District level establishments under sub-section (4) of section 23 of the Act and recommend appropriate measures.
- (f) any other functions as may be assigned by the State Government.

CHAPTER VIII

State Commissioner for Persons with Disabilities

21-(1) A person shall not be qualified to be appointed as a State Commissioner for Persons with Disability under sub-section (1) of section 79 of the Act (here in after in this Chapter referred to as the State Commissioner) unless,-

Qualification
for
appointment of
State
Commissioner

- (a) he has special knowledge or practical experience in respect of the matters relating to rehabilitation of persons with disabilities;
- (b) he has not attained the age of sixty years on the 1st January of the year in which the last date for receipt of applications, as specified in the advertisement inviting applications for appointment of the State Commissioner, occurs;
- (c) he possesses the following educational qualifications and experience, namely:-

(A) Educational qualifications:

- (i) essential: Graduate from a recognized university;
- (ii) desirable: recognized degree or diploma in Social Work or Law or Management or Human Rights or Rehabilitation or Education of disabled persons.

(B) Experience:

atleast fifteen years experience in a Group 'A' level post:-

- (i) in Central or State Government, or
- (ii) Public Sector Undertakings or Semi Government or Autonomous Bodies dealing with disability related matters or social sector, or
- (iii) works in the capacity of a senior level functionary in a registered state or national or international level voluntary organization working in the field of disability or social development;

Provided that out of the total fifteen years experience mentioned in this sub-clause, at least three years of experience in the recent past had been in the field of empowerment of persons with disabilities.

(2) If a person has been selected for appointment to the post of the State Commissioner, and he is in service under the Central Government or a State Government, he shall seek retirement from such service before he is appointed as State Commissioner.

Mode of
appointment of
the State
Commissioner

22-(1) At least six months before the post of State Commissioner is due to fall vacant, an advertisement shall be published in at least two National or State level daily newspapers, one in English and the other in the vernacular language, inviting applications for appointment to the post of State Commissioner from eligible candidates fulfilling the criteria mentioned in rule 21.

(2) A Search-cum-Selection Committee shall be constituted by the State Government to recommend to it a panel of three suitable candidates for the post of the State Commissioner.

(3) Composition of the Search-cum-Selection Committee referred to in sub-rule (2) shall be governed by relevant instructions issued by the concerned administrative department of the State Government.

(4) The panel recommended by the Search-cum-Selection Committee referred to in sub-rule (2) may consist of persons from amongst those who have applied in response to the advertisement made under sub-rule (1) as well as from other willing eligible persons in the employment of Central or State Government whom the Committee may consider suitable.

(5) The State Government shall appoint one of the candidates out of the panel recommended by the Search-cum-Selection Committee under sub-rule (2) as the State Commissioner.

Term of the
State
Commissioner

23-(1) The State Commissioner shall be appointed on full-time basis for a period of three years from the date on which he assumes office, or till he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier.

(2) A person may serve as State Commissioner for a maximum of two terms, subject to the upper age limit of sixty-five years.

Salary and
allowances of
the State
Commissioner

24-(1) The salary and allowances of the State Commissioner shall be the salary and allowances as admissible to a Principal-Secretary of the State Government (viz; Level -15 of the 7th CPC pay-matrix)

(2) Where a State Commissioner, being a retired government servant or a retired employee of any institution or autonomous body funded by the Central or State Government, is in receipt of pension in respect of such previous service, the salary admissible to him under these rules shall be reduced by the amount of the pension, and if he had received in lieu of a portion of the pension, the commuted value thereof, by the amount of such commuted portion of the pension.

Other terms and
conditions of
service of the
State
Commissioner

25-The other terms and conditions of service of State Commissioner shall be as follows,-

(a) Leave:

The State Commissioner shall be entitled to such leave as is admissible to Group 'A' officer under the relevant provisions of the State Civil Service Rules applicable to them.

(b) Leave Travel Concession:

The State Commissioner shall be entitled to such Leave Travel Concession as is admissible to Group 'A' officers under relevant provisions of the State Civil Service Rules applicable to them.

(c) Medical Benefits:

The State Commissioner shall be entitled to such medical benefits as is admissible to Group 'A' officers under the relevant provisions of the State Civil Service Rules applicable to them.

26-(1) The State Commissioner may, by notice in writing, under his hand, addressed to the State Government, resign from his post.

Resignation and removal

(2) The State Government shall remove the State Commissioner from his office, if he -

- (a) becomes an undischarged insolvent; or
- (b) engages himself during his term of office in any paid employment or activity outside the duties of his office; or
- (c) is convicted and sentenced to imprisonment for an offence which in the opinion of the State Government involves moral turpitude; or
- (d) is in the opinion of the State Government, unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body or serious default in the performance of his functions as laid down in the Act; or
- (e) without obtaining leave of absence from the State Government, remains absent from duty for a consecutive period of fifteen days or more; or
- (f) has, in the opinion of the State Government, so abused the position of the State Commissioner as to render his continuance in the office detrimental to the interest of persons with disability:

Provided that no State Commissioner shall be removed from office under this rule except after following the due principles of Natural Justice.

(3) The State Government may suspend a State Commissioner, in respect of whom proceedings for removal have been commenced in accordance with sub-rule (2), pending conclusion of such proceedings.

27-The other conditions of service of the State Commissioner, in respect of which no express provision has been made in these rules, shall be determined by the rules and orders for the time being applicable to the Secretary to the State Government.

Residuary provision

28-(1) The State Government shall appoint an Advisory Committee comprising the following members, namely:-

Constitution of the Advisory Committee

(a) three experts to represent each of the five groups of specified disabilities mentioned in the Schedule to the Act by rotation of whom one shall be woman;

(b) Two experts or senior officers of the Government to be nominated by the State Government.

(2) The tenure of the members of the Advisory Committee shall be for a period of three years.

(3) The State Commissioner may invite subject or domain expert as per the need who shall assist him in meeting or hearing and in preparation of the report.

29-(1) A complainant may present a complaint containing the following particulars in person or by his agent to the State Commissioner or send it by registered post or by email addressed to the State Commissioner, namely:-

Procedure to be followed by State Commissioner

- (a) the name, description and the address of the complainant;
- (b) the name, description and the address of the opposite party or parties, as the case may be, so far as they may be ascertained;
- (c) the facts relating to complaint and when and where it arose;
- (d) documents in support of the allegations contained in the complaint;
- (e) the relief which the complainant claims.

(2) The State Commissioner on receipt of a complaint shall send a copy of the complaint to the opposite party or parties mentioned in the complaint directing him to give his version of the case within a period of thirty days or such extended period not exceeding fifteen days as may be granted by the State Commissioner.

(3) On the date of hearing or any other date to which hearing could be adjourned, the parties or their agents shall appear before the State Commissioner.

(4) Where the complainant or his agent fails to appear before the State Commissioner on such days, the State Commissioner may either dismiss the complaint on default or decide on merits.

(5) Where the opposite party or his agent fails to appear on the date of hearing, the State Commissioner may take such necessary action under section 82 of the Act as he deems fit for summoning and enforcing the attendance of the opposite party.

(6) The State Commissioner may dispose of the complaint ex-parte, if necessary.

(7) The State Commissioner may on such terms as he deems fit and at any stage of the proceedings, adjourn the hearing of the complaint.

(8) The State Commissioner shall decide the complaint as far as possible within a period of 90 days from the date of receipt of notice by the opposite party.

Advisory
Committee to
assist the State
Commissioner

30-(1) The State Government shall appoint an Advisory Committee comprising five experts to represent each of the five groups of specified disabilities mentioned in the Schedule to the Act, of whom two shall be women;

(2) The State Commissioner may invite subject or domain expert as per the need who shall assist him in meeting or hearing and in preparation of the report.

(3) The tenure of the members of the Advisory Committee shall be for a period of three years and the members shall not be eligible for re-nomination.

(4) The non-official members of the Advisory Committee, residing in the State capital, shall be paid an allowance of rupees two thousand per day for each day of the actual meeting.

(5) Non-official members of the Advisory Committee, not residing in the State capital shall be paid daily and travelling allowances for each day of the actual meetings at the rate admissible to a Group A officer of the State Government.

Submission of
annual reports

31-(1) The State Commissioner shall as soon as may be possible after the end of the financial year, but not later than the 30th day of September in the next year ensuing, prepare and submit to the State Government an annual report giving a complete account of his activities during the said financial year.

(2) In particular, the annual report referred to in sub-rule (1) shall be in the form so that the details of separate matters be provided under separate heads inter-alia containing therein information in respect of each of the following matters, namely:-

(a) names of officers and employees in the office of the State Commissioner and a chart showing the organizational set up;

(b) the functions which the State Commissioner has been empowered under the Act and the highlights of the performance in this regard;

(c) the main recommendations made by the State Commissioner;

(d) progress made in the implementation of the Act in the State; and

(e) any other matter deemed appropriate for inclusion by the State Commissioner or specified by the State Government from time to time to be included in the report.

CHAPTER IX

Public Prosecutor

Appointment of
Public Prosecutor

32-(1) The Public Prosecutor to be appointed by the State Government in every Special Court shall have:-

(a) practical experience of handling cases of persons with disabilities.

(b) experience at the Bar of not less than five years;

(c) shall be well versed with local language and customs.

(2) The fee and other remunerations of the Special Public Prosecutor specified or appointed under sub-section (1) of section 85 of the Act shall be the same as that of Public Prosecutor appointed by the State Government under the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 1 of 1974) for conducting the cases before a court of session.

CHAPTER X

State Fund for Persons with Disabilities

33-(1) There shall be credited to the State Fund for persons with disabilities hereinafter referred to as 'the State Fund':-

State Fund for
Persons with
Disabilities
and its
management

(a) all sums received by way of grant, gifts, donations, benefactions, bequests or transfers;

(b) all sums received from the State Government including grants-in-aid; and

(c) all sums from such other sources as may be decided by the State Government.

(2) There shall be a Governing Body consisting of following members to manage the State Fund, namely:-

a) Principal Secretary or Secretary, Department of Empowerment of Persons with Disabilities, in the State Government - Chairperson;

b) two representatives from the Department of Health and Family Welfare, Department of Education, Department of Labour and Employment, Department of Finance, Department of Rural Development in the State Government, not below the rank of a Joint Secretary, by rotation in alphabetical orders - Members

c) two persons representing different types of disabilities to be nominated by the State Government, by rotation - Members;

g) Director in the Directorate dealing with Empowerment of Persons with Disabilities in the State Government - Convener and Chief Executive Officer.

(3) The Governing Body shall meet as often as necessary, but at least once in every financial year.

(4) The nominated members shall hold office for not more than three years.

(5) No member of the Governing Body shall be a beneficiary of the Fund during the period such Member holds office.

(6) The nominated non-official members shall be eligible for payment of travelling allowance and dearness allowance as admissible to a Group 'A' officer of the State Government for attending the meetings of the Governing Body.

(7) No person shall be nominated under clause (b) and (c) of sub-rule (2) as a member of the Governing Body if he -

(a) is, or has been, convicted of an offence, which in the opinion of the State Government, involves moral turpitude; or

(b) is, or at any time has been, adjudicated as an insolvent.

34-(1) The State Fund shall be utilized for the following purposes, namely:-

Utilisation of
the State Fund

(a) financial assistance in the areas which are not specifically covered under any scheme and programme of the State Government;

(b) administrative and other expenses of the Fund, as may be required to be incurred by or under the Act; and

(c) such other purposes as may be decided by the Governing Body.

(2) Every proposal of expenditure shall be placed before the governing body for its approval.

(3) The Governing Body may appoint secretarial staff including accountants with such terms and conditions as it may think appropriate to look after the management and utilisation of the State Fund based on need based requirement.

(4) The State Fund shall be invested in such manner as may be decided by the governing body.

Budget

35-The Chief Executive Officer of the State Fund shall prepare the budget for incurring expenditure under the State Fund in each financial year showing the estimated receipt and expenditure of the Fund, in January every year and shall place the same for consideration of the governing body.

Annual Report

36-The annual report of the Department dealing with Empowerment of Persons with Disabilities in the State Government shall include a chapter on the State Fund.

By order,
MAHESH KUMAR GUPTA,
Pramukh Sachiv.

FORM**Application for a Certificate of Registration****[See rule 7(1)]**

- (1) Name of applicant and his address : _____
- (2) Institution in respect of which application is made:
 - a. Name : _____
 - b. Address (Office/Project) : _____
 - c. Phone /Fax/Telex/(Office) : _____
(Project)
- (3) (i) Name of the Act under which the institution is already registered: _____
(ii) Registration No. and date of registration: _____
(Please attach a photocopy)
- (4) Memorandum of Association and Bye-laws of the institution:
(Please attach a photocopy)
- (5) Name, address, occupation and other particulars of the members of the Board of Management/Governing Body of the institution:
- (6) Present Activities of the institution: _____
- (7) Present membership strength and categorization of the institution. List of documents to be attached:
 - (a) A copy of the annual report for the previous year,
 - (b) Audited Statement of account duly certified by Chartered Accountant for the last two years
 - (i) Receipt and Payment Account (by Chartered Accountant for the last two years)
 - (ii) Income and Expenditure Account (by Chartered Accountant for the last two years)
 - (iii) Balance sheet for the last two years (by Chartered Accountant for the last two years)
 - (c) Details of staff employed by the institution.
 - (d) Details of beneficiaries to be covered by the _____ of the institution
 - (e) If hostel is maintained, then number of hostellers.
 - (f) Other terms, if any.
 - (g) Whether the institution is located on its own/Rented building (Necessary evidence to be attached).

Signature of the Applicant

Name :

Designation :

Address :

Date :

Office Stamp :

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 594 राजपत्र-(हिन्दी)-2017-(2092)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 1 सा० विकलांग कल्याण-2017-(2093)-150 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।